नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

शुद्धिपत्र

दिनांक 1 जनवरी, 2003

संख्या सी0सी0पी0 (एन0सी0आर0)/के0सी0ए0-1/2003/1.— हरियाणा सरकार राजपत्र, दिनांक 13 अगस्त, 2002 में प्रकाशित, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी0 सी0 पी0 (एन0सी0आर0)/के0सी0ए0-1/2002/1600, दिनांक 5 अगस्त, 2002, के मूल हिन्दी पाठ में अनुबन्ध ख में, अंचल विनियम शीर्ष में, मद 'xiv विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई और आकार' के नीचे, जो नीचे सारणी में दर्शित है,

"

क्रमांक	उपयोगिता किस्म	भूमितल मंजिल का अधिकतम निर्मित क्षेत्र	अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात	विशेष कथन
1.	वर्ग आवास	35 प्रतिशत	175	
2.	सरकारी कार्यालय	25 प्रतिशत	150	
3.	वाणिज्यक			
	(क) एकीकृत निगमन	40 प्रतिशत	100	सैक्टर के कुल प्लाट क्षेत्र का हिसाब लगाते समय वाणिज्यक क्षेत्र के कुल क्षेत्र को प्लाट योग्य क्षेत्र के रूप में समझा जाना है। इस सैक्टर के कुल प्लाट क्षेत्र की गणना के लिए उस वाणिज्यक क्षेत्र के कुल प्लाट का जिसमें यह योजना बनाई गई है, केवल 35 प्रतिशत क्षेत्र प्लाट योग्य क्षेत्र के रूप में समझा जाये।
	(ख) व्यक्तिगत स्थल	150 प्रतिशत	300	
4.	भांडागार	75 प्रतिशत	150	—

के स्थान पर,

"

क्रमांक	उपयोगिता किस्म	भूमितल मंजिल का अधिकतम निर्मित क्षेत्र	अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात	विशेष कथन
1.	वर्ग आवास	35 प्रतिशत	175	
2.	सरकारी कार्यालय	25 प्रतिशत	150	
3.	वाणिज्यक			
	(क) एकीकृत निगमन	40 प्रतिशत	150	सैक्टर के कुल प्लाट क्षेत्र का हिसाब लगाते समय वाणिज्यक क्षेत्र के कुल क्षेत्र को प्लाट योग्य क्षेत्र के रूप में समझा जाना है।
	(ख) व्यक्तिगत स्थल	100 प्रतिशत	300	इस सैक्टर के कुल प्लाट क्षेत्र की गणना के लिए उस वाणिज्यक क्षेत्र के कुल प्लाट का जिसमें यह योजना बनाई गई है, केवल 35 प्रतिशत क्षेत्र प्लाट योग्य क्षेत्र के रूप में समझा जाये।
4.	भांडागार	75 प्रतिशत	150	—

पढ़ा जाए।

"

भास्कर चटर्जी,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।